#### CULTURAL AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Italy,

DESIRING to develop cooperation between their two countries in the fields of education, art and culture, sports, public health and mass media and to strengthen their friendly relations, HAVE AGREED as follows:

### ARTICLE 1

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the fields of education, art and culture, sports, public health and mass media.

#### ARTICLE 2

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations

devoted to educational and cultural pursuits and shall facilitate the working of existing cultural institutions in accordance with its laws and regulations.

Such institutions shall be established in accordance with the conditions agreed upon by the two Contracting Parties.

### ARTICLE 3

The Contracting Parties shall facilitate and encourage the relations between the Universities of the two countries and the exchange of University professors, school teachers, scientists, researchers and other persons concerned with education, sports, public health and mass media, and with the study of each other's history, culture and language as well as the exchange of students and sportsmen.

### ARTICLE 4

Each Contracting Party shall consider to what extent and on what conditions academic degrees, university and school certificates obtained in the schools and educational institutions of the other Contracting Party can be recognised as equivalent to the corresponding degrees and certificates obtained in its own schools and educational institutions for academic and pro

fessional purposes.

#### ARTICLE 5

Each Contracting Party shall grant scholarships to citizens of the other so that they can carry on their studies or obtain advanced training in its Universities and Institutes of Higher Learning.

The selection of the candidates will be made through a Joint Committee which would include representatives of the other Contracting Party.

#### ARTICLE 6

The Contracting Parties shall extend all possible facilities to each other in order to propagate in their respective countries a better knowledge of the culture and ways of life of the other Contracting Party and to this end they will encourage:

- a) the holding of exhibitions, concerts, theatrical and other artistic performances;
- b) the distribution of books, periodicals, publications and reproductions of works of art;
- c) the exchange of records, films, radio and tele vision material.

#### ARTICLE 7

Each Contracting Party shall encourage the exchange of materials in the fields of art and culture, education and sports and, as far as possible, exchange of archaeological specimens, museum art objects, etc. They will also provide facilities to acquire copies, photographic or otherwise, of historical records and manuscripts of mutual interest.

### ARTICLE 8

The Contracting Parties shall facilitate collaboration between the Organizations and Institutions engaged in the promotion of tourism in the two countries, in accordance with their respective laws and regulations.

#### ARTICLE 9

A Joint Committee, consisting of representatives of both Governments and to which experts may be added, will be set up for the implementation of this Agreement. It will meet in principle every two years alternately in Italy under an Italian chairman, and in India, under an Indian chairman.

The Joint Committee shall be entrusted with the task of keeping under periodical review the working of the Agreement, advising the two Governments on the detailed manner of carrying

it out and formulating exchange programmes as well as generally advising the Governments concerned as to the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

### ARTICLE 10

The present Agreement shall remain in force for a period of five years. Thereafter, it will be renewable by tacit agreement unless one of the Contracting Parties terminates it by giving notice of at least six months in advance in writing.

The present Agreement shall come in force 60 days after the Parties shall have informed each other that all the requirements provided for by their respective constitutions have been met.

Done in Rome on November 9th, 1976 corresponding to the Saka Year 18 Kartika, 1898 in two originals, in English, Hindi and Italian languages, all the texts being equally authentic, except in case of doubt when the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

1421 man

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

- nlaus

# भारत गणराज्य की सरकार और इटली गणराज्य की सरकार के बीच साँखृतिक करार

भारत गणराज्य की सरकार और इटली गणराज्य की सरकार ने,

शिहा, कला और सैस्कृति, खेलकूद, जनस्वास्थ्य और जन-साधनों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बोच सहयोग बदाने और अपने मेत्रीपूर्ण सन्बन्धों को मजबूत बनाने की इच्छा से, निम्नलिखित को स्वीकृत किया है:

# अनुन्वेद - ।

रिविदाकारी प्राकार शिक्षा, कला और संस्कृति, खेलकृद, जन-स्वास्य और जन-साधनों के होती में महयोग को प्रोत्साहित करोंगे।

# अमुखेद - 2

प्रत्येक संविदाकारी प्रकार, एक दूसरे के क्षेत्र में, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यों में रत सांस्कृतिक संस्थानी अथवा भेत्री संघी की स्थापना का स्वागत करेगा और दोनों अपने-अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार विद्यमान सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्य को सुकर बनाएंगे।

रेसी सैथाएँ, दोनी सैविदाकारी पक्षकारी द्वारा स्वीकृत की ग**ई शर्ती के अनुसार ध्या**पित की जाएँगी ।

## अनुचीद - 3

संविदावारी पद्मवार दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच सम्बन्धों तथा विश्वविद्यालय-प्रोफेसरों, स्कूल-अध्यापकों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षा, खेलकूद, जनस्वाध्य और जन-साधनों तथा एक दूसरे के इतिहास, संस्कृति और भाषा के अध्ययन से संबंधित अन्य व्यक्तियों के आदान-प्रदान और साथ ही हात्रों और खिलाड़ियों के आदान-प्रदान को भी सुकर बनाएंगे

### और प्रोत्साहित करेंगे।

## अनुकोद - 4

प्रत्येक संविदानारी प्रतार इस नात पर विचार करेगा कि वहाँ तक और किन शर्जी पर दूसरे संविदानारी प्रशान के खूलों और शैक्षिक संख्याओं में प्राप्त की गई शैक्षिक डिग्रियों, विश्वविद्यालय और खूल प्रमाण-पत्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अपने खूलों और शैक्षिक संख्याओं में प्राप्त की गई तदनुत्रपी डिग्रियों और प्रमाण-पत्रों के समकल मान्यता दो जा सकती है।

# अनुखेद - 5

प्रत्येक सैविदावारी पशकार दूसरे पशकार के नागरिकीं को शत्रवृत्तियाँ प्रदान करेगा ताकि वे लपने अध्ययन को जारी एवं सर्वे अथवा उसके विश्वविद्यालयों और उच्च अध्ययन के संस्थानों में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कर सर्वे ।

इन उम्मीदवारों का स्थन एक संखुत्त समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें अन्य सैविदाकारी प्रधकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

### अनुचीद - ६

मंजिदाकारी पशकार एक दूसरे को, अन्य संविदाकारी पश्कार की संस्कृति तथा वहाँ के जीवन को बेहतर जानकारी का अपने-अपने देश में प्रसार करने के लिए सभी संभव सुविधार प्रदान करेंगे और इसके लिये वे निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे:

- (क) प्रदर्शनियों, संगोत-समारोहों, धियेटर सम्बन्धी तथा सन्य कतात्मक प्रदर्शनीं का आयोजन ;
- (ख) पुस्तवी, पिकासी, प्रकाशनी तथा क्ला-कृतियी
   के प्रतिस्पी का वितरण; और
- (ग) रिकार्डी, फिल्मी, रेडियो तथा टैलीविजन सामग्री

#### का आदान-प्रदान ।

### अनुचोद - 7

प्रत्येक सैविदानारी पष्टाकार कला और सैस्कृति, शिक्षा और खेलवृद के क्षेत्र में सामग्री के विनिमय तथा यथासंभव पुरातत्वीय नम्नीं, संग्रहालय कला वस्तुओं आदि के विनिमय को प्रोत्साहित करेगा । वे पारस्परिक हित के रेतिहासिक अभिलेखीं तथा पाण्डुलिपियों के फोटी अथवा अन्य रूप में प्रतियां प्राप्त करने की सुविधाएं भी प्रदान करेंगे ।

### अनुनोद - 8

संविदाकारी प्राकार, अपने-अपने कान्नी तथा विनियमीं के अनुसार, दोनी देशों में पर्यटन के संवर्धन में कार्यरत संगठनीं तथा संस्थाओं के बीच सहयोग को सुकर बनाएंगे।

### अनुकोद - 9

इस करार की कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त समिति स्थापित की जायेगी, जिसमें दोनों सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे तथा जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल किये जा सकते हैं। सिद्धान्ततः इसकी बैठक इटली में इतालवी सध्यक्ष के सधीन तथा भारत में भारतीय सध्यक्ष के सधीन बारी-बारी से हर दो वर्ष के बाद होगी।

संयुक्त समिति वर्तमान करार के कार्यकरण का आविषक पुनर्विलोकन करने, दोनों सरकारों को इस करार के कार्यान्वयन की विस्तृत रीति के सम्बन्ध में मलाह देने तथा विनिमय कार्यव्रम बनाने और संबंधित सरकारों को साधारणतथा उस रीति के बारे में सलाह देने के लिए, जिससे करार के कार्यकरण को सुधारा जा सके, जिम्मेदार होगी।

### अनुकोद - 10

वर्तमान करार पाँच वर्ष की अविधि के लिए लागू रहेगा।

उसके बाद यह स्वतः नवीकृत हो जायेगा जब तक कि कोई भी सैतिदाारी पक्षकार इसकी अवसित करने के सैबैध में लिखित स्मामी कम से कम कः महीने की पूर्व सूचना न दे ।

पधकारी द्वारा अपने-अपने सैविधान में प्रदत्त सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेने के सन्दन्ध में एक दूसरे की सूचना देने पर 60 देन वे बाद वर्तमान करार लागू होगा ।

रीम में 1898 (शक्) के कार्तिक मास के 18 दिन तदनुष्ट्य । 976 के जीवम्बर मास के 9 दिन हः मूल प्रतियों में, हिन्दी, इतालवी और जैंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों ीं किया गया । सभी पाठ समान हम से प्रमाणित होंगे किन्तु सन्देव की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी बीगा ।

भारत गगाच्य की सरकार इटली गगाच्य की सरकार वी और से

14 Rulanch